# कार्यवाही विवरण

## मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की समीक्षा बैठक दिनांक 30–31 मई 2016

(स्थान – इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 30–31 मई 2016 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं.रा.विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए उनके द्वारा की गयी प्रगति को आधार बनाया जाए तथा प्रगति की रिपोर्ट सचिव, पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी जाएँ।
2. युरोपियन बजट से चल रही योजनाओं को पूर्ण कर 2015–16 तक यूसी मुख्यालय को प्रस्तुत की जाए अन्यथा 16.6.2016 को स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू.सी. के साथ उपस्थित होवें।
3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं में गत वर्ष किये गये सराहनीय कार्यो की मा0 मत्री महोदय द्वारा प्रशन्सा कर सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बधाई दी गयी।
4. आवास योजना में वर्ष 2011–12 से लेकर 2014–15 तक के समस्त अपूर्ण आवासों को नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।
5. आवास योजना में द्वितीय किस्त जारी करने के नये मापदण्ड निर्धारित किये गये है जिसकी जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दी जाये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने स्तर पर इन मापदण्डों के अनुरूप आवास पूर्ण करायेगे, मापदण्डानुसार आवास पूर्ण न होने पर उनकी व्यक्तिगततौर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
6. आवास योजना में सही रणनीति बनाकर वर्ष 2015–16 तक के कार्य पूर्ण कराये जाऐ। इन कार्यो में NGO, SHG ग्रुप की महिलाओं, सरकारी कार्मिकों का उपयोग किया जा सकता है।
7. ऐसे राज्य के 12 जिले जहां पर टारगेट बहुत अधिक है वहां जिला कलक्टर को इस कार्य में शामिल किया जाये।

18. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी **पंचायत समिति की साधारण सभा** की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेकर उनका फीडबैक लेवें।

19. **राजीविका** में जिलों में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अतः राजीविका संबंधी विभिन्न स्तर पर हो रही बैठकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेवें तथा अच्छे कार्यो को पुरूषकृत किया जाए।

20. **राजीविका** में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को महात्मा गांधी नरेगा से एक लाख कार्य स्वीकृत किये जाए।

21. प्रमुख शासन सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि **डांग मगरा व मेवात में कार्य करते समय मिसिंग लिंक को प्रथम वरियता दी जाए** तथा कन्वर्जेन्स का पूरा ध्यान रखा जाए तथा महात्मा गांधी नरेगा से अधिकतम कन्वर्जेनस किया जाए।

22. **डांग, मगरा, मेवात योजना** में राज्य स्तर पर आवंटित राशि का 20 प्रतिशत आरक्षित रखा गया है। इन 20 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत इन योजनाओं में कार्य क्षेत्र में आने वाली **ग्राम पंचायतों के भवन** निर्माणों हेतु तथा **10 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना** हेतु रखी जाये।

23. SFC, TFC में योजनाओं की गाईड लाईन के अनुसार राशि का सबसे **बेहतर उपयोग** किया जाए।

24. **गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना** में वर्ष 2016–17 के लिए 100 करोड का आवंटन किया गया, जिसे जिलों को आवंटित कर दिया गया है। जिलों में अभी भी भारी राशि की मांग है अतः जिलों से अतिरिक्त मांग की सूचना लेकर उसके अनुरूप राज्य सरकार से राशि की मांग की जाए।

25. **सांसद आदर्श ग्राम योजना व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेन्स** कर कार्यो की स्वीकृतियॉ जारी करायी जा सकती है। इस वर्ष से ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो में भी जिला स्तर पर 60:40 अनुपात संधारित किया जाएगा। अतः सभी आदर्श ग्रामों में अधिक से अधिक पक्के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृत कराये जाए।

26. क्षेत्र में सीसी रोड, खरंजा निर्माण, नाली निर्माण की मांग सबसे अधिक की जाती है और यह कार्य **महात्मा गांधी नरेगा** से कराया जा सकता है।

27. राज्य में पंचायत राज संस्थाओं को अच्छे कार्यो के लिए पुरस्कार देने की योजना लागू है। माह जून 2016 में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित कराया जाए।

28. जिलों द्वारा उनके यहां विभिन्न स्तर पर भारी संख्या में **खाली पदों के** बारे में जानकारी देते हुए शीघ्र नियुक्तियों का आग्रह किया गया। इस संबंध में पंचायत राज विभाग सभी स्तर की रिक्तियों का आंकलन कर उनको किस तरह से शीघ्रता से भरा जा सकता है इस संबंध में प्रस्ताव मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुत करेगें।

42. ब्लॉक लेवल पर IWMS का Log-in ID & Password उपलब्ध करवाया जावे ।

43. श्रीनगर (अजमेर) का पंचायत समिति में विकास अधिकारी को टेण्डर सरपंचों के विरोध के कारण निरस्त करने की विज्ञप्ति समाचार पत्र में देने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए चार्ज शीट जारी की जाये ।

44. SECC-2011 के PPT सभी जिलों को भेजी जाये ।

45. अन्य– कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह मांग की गयी कि उन्हें टी.ए. (टेक्नीकल एडवाईजर) के रूप में उपलब्ध कराये जाये जो कि सहायक अभियन्ता या अधिशाषी अभियन्ता स्तर के हो सकते है।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

8/6/16

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(मोएवंमू)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 2 (2)ग्रावि/अनु.–8/2015 जयपुर, दिनांक 8/6/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा/वाटरशैड
6. निदेशक, सीसीडीयू/ सामाजिक अंकेक्षण
7. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास/पंचायतीराज विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
9. समस्त परियोजना निदेशक (मुख्यालय), ग्रामीण विकास विभाग।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास/श्री योजना
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान।
12. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), राजस्थान।
13. समस्त योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. को अपलोड करने हेतु।

8/6/16

परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव (एम एण्ड ई)